संख्या– 679 / ।।–2005–03(01)/04

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून, दिनांक, 01 मार्च, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत अधिष्ठान हेतु अवचनबद्ध मदों में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या–554 /विअनु–1/2004, दिनांक 30.07. 2004 में दिये गये निर्देशों एवं शासनादेश सं0 1230/ नौ–1–सिं0 (01बजट)/03/04 दिनांक 31.03.2004, एवं शासनादेश सं0 1349/नौ–1–सिं0 (01 बजट)/03/04 दिनांक 06.04.2004, शासनादेश सं0 1666/।।–2004–03 (01)/03 दिनांक 06. 05.2004, शासनादेश सं0 2998/।।–2004–03 (01)/03 दिनांक 13.08.2004 एवं शासनादेश सं0 4302/।।–2004–03(01)/04 दिनांक 06.11.2004, शासनादेश सं0 4465/।।–2004–03(01) /04 दिनांक 29.11.2004 एवं आपके पत्र सं0 646/मु0अ0वि0/वि0नि0/सी–2 डी अधिष्ठान दिनांक 23.02.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के अधिष्ठान के वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों हेतु संलग्नक में अंकित विवरणानुसार रू0 42.24 लाख (रूपये बयालीस लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि सम्बन्ध में उल्लिखित अनुदान/लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता सम्बन्धी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों/सामग्रियों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर पर अथवा टेण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाय। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

3– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाय।

4– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनमें वह स्वीकृत किया जा रहा है।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2005 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

क्रमांशः..............2

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष– 2004–05 में अनुदान संख्या– 20 लेखाशीर्षक 2701 मुख्य तथा मध्यम सिंचाई–01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक आयोजनेत्तर के अन्तर्गत वर्णित शीर्षक के प्राथमिक इकायों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प्र0सं0 600/वि0अनु0–3/2004, दिनांक 01 मार्च,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

संख्या– 679 /।।–2005–03(01)/04तद्दिनांक।

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
2– वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–3) उत्तरांचल, शासन।
3– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
4– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग।
5– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
6– कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, देहरादून उत्तरांचल।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोक्त।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

शासनादेश सं0 679/II-2005-03 (01)/04 दिनांक 9 मार्च, 2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
1	2	3
	20/2701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई 01-मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक 001-निदेशन तथा प्रशासन	
	03-निदेशन	
1	04-यात्रा व्यय	1.33
2	07-मानदेय	0.15
3	08-कार्यालय व्यय	0.75
4	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.30
5	27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0.98
	योग	*3.51*
	04 कार्यकारी अधिष्ठान	
1	04-यात्रा व्यय	13.17
2	07-मानदेय	2.00
3	08-कार्यालय व्यय	7.50
4	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.03
5	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00
6	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00
7	17-किराया उपशुल्क और कर-स्वामित्व	0.33
8	27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	5.23
	योग	*36.36*
	08 सिंचाई सलाहकार समिति का अधिष्ठान	
1	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.30
2	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	0.90
3	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी सेटेलाईट का क्रय	0.17
	योग	*2.37*
	महा योग	*42.24*

(रूपये बयालीस लाख चौबीस हजार मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।